

प्रेस नोट – कोतवाली फर्रुखाबाद

दिनांक :- 16.02.2025

कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 16/25 धारा

140(2)/127(2)/123/115(2)/351(2)/309(6)/308(5) बीएनएस व 66 आईटी

एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान उप महानिरीक्षक /पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा कोतवाली फर्रुखाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 16/25 धारा 140(2)/127(2)/123/115(2)/351(2)/309(6)/308(5) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट में नामित अभियुक्त 1.कुशाग्र मिश्रा पुत्र राजन मिश्रा नि० नुनहाई स्ट्रीट थाना कोत० फर्रुखाबाद व प्रकाश में आया अभियुक्त 2.आर्यन मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी 4/29 नाला सिम्त सुमाल थाना कोतवाली फर्रुखाबाद को मय घटना में प्रयुक्त 03 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन व एक अदद मोटर साइकिल व एक अदद स्कूटी व लूटे हुए 3600 रुपये नगद सहित गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. कुशाग्र मिश्रा पुत्र राजन मिश्रा नि० नुनहाई स्ट्रीट थाना कोत० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़।
2. आर्यन मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी 4/29 नाला सिम्त सुमाल कोतवाली फर्रुखाबाद।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- वादी द्वारा दिनांक 15.02.2025 को कोतवाली फर्रुखाबाद पर सूचना दी गयी कि दिनांक 14.02.2025 को अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुकदमा को मॉल में सस्ते कपडे दिलाने के नाम पर मोटरसाईकिल पर बैठाकर नशीला पदार्थ सुंघा कर बेहोश कर अपहरण कर लिया गया तथा उसे एक कमरे में बन्द करके निर्वस्त्र कर मारपीट कर वीडियो बनायी गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी एवं फिरौती हेतु 5 लाख रूपये की मांग की गयी। अभियुक्तगण द्वारा रूपये ना देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुये वादी से 3600 रूपये छीन लेना तथा क्यूआर कोड के माध्यम से 25 हजार रूपये मंगाकर कई बार में खाते मे ट्रांसफर कराये गये। अभियुक्तगणों द्वारा वादी को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुये 10 हजार रूपये महीने की रंगदारी की मांग की गयी। वादी की सूचना पर कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु०अ०स० 16/25 धारा 140(2)/127(2)/123/115(2)/351(2)/309(6)/ 308(5) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट बनाम कुशाग्र मिश्रा पुत्र राजन मिश्रा नि० नुनहाई स्ट्रीट थाना कोत० फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ़ व 03 नफर अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 16.02.2025 को नामित अभियुक्त 1. कुशाग्र मिश्रा पुत्र राजन मिश्रा नि० नुनहाई स्ट्रीट थाना कोत० फर्रुखाबाद व प्रकाश में आया अभियुक्त 2. आर्यन मिश्रा पुत्र संतोष कुमार मिश्रा निवासी 4/29 नाला सिम्त सुमाल थाना कोतवाली फर्रुखाबाद को मय घटना में प्रयुक्त 03 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन व एक अदद मोटर साइकिल व एक अदद स्कूटी व लूटे हुए 3600 रूपये नगद सहित गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगणों से पूछताछ करने पर जुर्म से इकबाल करते हुये शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा० न्यायालय में देना बतया।

अभियुक्त कुशाग्र मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 16/25 धारा 140(2)/127(2)/123/115(2)/351(2)/309(6)/308(5) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद,
2. मु०अ०स० 25/17 धारा 352/427/406 भादवि० कोत० फर्रु०
3. मु०अ०स० 1223/18 धारा 332/353 भादवि० कोत० फर्रु०
4. मु०अ०स० 446/18 धारा 323/504/506 भादवि० कोत० फर्रु०
5. मु०अ०स० 1224/18 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट कोत० फर्रु०
6. मु०अ०स० 125/23 धारा 307, 323, 498-A, 504, 506 व ¾ डीपीएक्ट थाना कादरीगेट
7. मु०अ०स० 351/17 धारा 307/504/506 भादवि० कोत० फर्रु०

8. मु0अ0स0 1222/18 धारा 307/325/427/504 भादवि0 कोत0 फरू0

अभियुक्त आर्यन मिश्रा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 16/25 धारा 140(2)/127(2)/123/115(2)/351(2)/309(6)/308(5) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट थाना कोतवाली फरूखाबाद जनपद फरूखाबाद,

बरामदगी का विवरण:-

1. 03 एन्ड्रायड मोबाइल फोन
2. 01 मोटर साइकिल
3. 01 स्कूटी
4. 3600 रूपये नगद।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कोतवाली फरूखाबाद पुलिस :-

1. श्री राजीव पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फरूखाबाद
2. उ0नि0 यतेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी तिकोना
3. का0 विक्रान्त चौहान
4. का0 अंकित पंवार
5. का0 विजय कुमार।

मीडिया सेल फतेहगढ़।